FORM NO-III

GCMS- 2023/189

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

मूलाराम बनाम सरदारा व अन्य

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र बाजदायरी प्रा. पत्र बाजदायरी संख्या 59/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री विवेक गौड, एड. उपस्थित। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 10.06.2023 को प्रार्थी की आराजी भूमि पर फिर से निर्माण कार्य शुरू होने पर मामले की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने अपनी उक्त अपील के बारे में पता किया तो मालूम चला कि दिनांक 21.08.2022 को उक्त अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गई। मार्च 2022 में कोविड–19 की महामारी फैल जाने के कारण लॉक–डाउन लगा दिया गया था तथा बचाव अभियान के तहत सभी सरकारी कार्यालय, न्यायालय तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जिसके चलते प्रार्थी को अपने उक्त केस की तारीखों की जानकारी नहीं मिल पाई तथा वह अपने अधिवक्ता से भी संपर्क नहीं कर पाया। उक्त परिस्थितियां प्रार्थी के नियंत्रण के बाहर थी। जिसके कारण प्रार्थी अपने मुकदमें में प्रस्तुत नहीं हो सका। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील संख्या 25/2019 को रेस्टोर कर पुनः सुनवाई कर लिये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन 500/–रूपये की कोष्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील अपीलान्ट कोष्ट की राशि राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर हमफिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner